"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2013—श्रावण 4, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती राजिमा खातून पति मोहम्मद आरिफ खान, आयु 27 वर्ष, निवासी-फ्लैट नं. 148, चौथा तल, शिखर जूनवानी रोड, कोहका, सूर्या ट्रेजर आईलैण्ड, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं हरमित कौर पिता प्रेमजीत सिंह के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. यह कि मेरा विवाह दिनांक 02-05-2007 को मोहम्मद आरिफ खान पिता हलीम खान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती राजिमा खातून पति मोहम्मद आरिफ खान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती राजिमा खातून पति मोहम्मद आरिफ खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

हरमित कौर
पिता-प्रेमजीत सिंह

नया नाम

श्रीमती राजिमा खातून
पति-मोहम्मद आरिफ खान
निवासी-फ्लैट नं.-148, चौथा तल,
शिखर जूनवानी रोड, कोहका,
सूर्या ट्रेजर आईलैण्ड, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजू ध्रुव पिता श्री जोहत राम ध्रुव, उम्र-40 वर्ष, जाति-गोंड़, स्थाई निवासी-ग्राम धरमपुरा, पोस्ट-देवपुरी, वि. खं.-धरसींवा, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.) हाल निवासी-ग्राम व पोस्ट-कोण्डागांव, तह. व जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) का हूं. मैं यूनिट यांत्रिकी सहायक कृषि अभियांत्रिकी कोंडागांव में वेल्डर के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश राजू गोंड़ पिता जोहत राम अंकित हो गया है को सुधार कर मैं अपना सही नाम राजू ध्रुव पिता जोहत राम ध्रुव अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे राजू ध्रुव पिता जोहत राम ध्रुव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजू गोंड़ पिता-जोहत राम स्थाई निवासी-ग्राम धरमपुरा पोस्ट-देवपुरी, वि. खं.-धरसींवा तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.) हाल निवासी-ग्राम व पोस्ट-कोण्डागांव तह. व जिला-कोण्डागांव.	राजू ध्रुव पिता-जोहत राम ध्रुव स्थाई निवासी-ग्राम धरमपुरा पोस्ट-देवपुरी, वि. खं.-धरसींवा तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.) हाल निवासी-ग्राम व पोस्ट-कोण्डागांव तह. व जिला-कोण्डागांव.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/506/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनय लूनिया आत्मज ज्ञानचंद लूनिया निवासी मंदिर पथ चौबे कालोनी रायपुर ने "श्रीमती विमला देवी लूनिया मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट" प्रथम तल मोहसीन मार्केट एम.जी.रोड गुरूनानक चौक रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्रीमती विमला देवी लूनिया मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट" प्रथम तल मोहसीन मार्केट एम. जी. रोड गुरूनानक चौक रायपुर, तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	1,13,366/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त टस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 23-08-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 11-07-2013 को जारी.

बी. सी. साहू,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.